(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना संख्या 4 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषयः– विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 3.18 (क) में संशोधन।

सा.आ. (अ.) यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:–

वर्तमान में विदेश व्यापार नीति 2015–20 का पैरा 3.18 (क) इस प्रकार है:

"इस नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है। ऐसा उपयोग/प्रयोग उन वस्तुओं के संबंध में होगा जो इन संबंधित रिवार्ड स्कीमों के तहत आयात करने के लिए अनुमत है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद करना होगा।"

संशोधन के पश्चात विदेश व्यापार नीति 2015–20 के संशोधित पैरा 3.18 (क) को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है। ऐसा उपयोग/प्रयोग उन वस्तुओं के संबंध में होगा जो इन संबंधित रिवार्ड स्कीमों के तहत आयात करने के लिए अनुमत है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद करना होगा।"

<u>इस अधिसूचना का प्रभावः–</u> पिछली विदेश व्यापार नीतियों के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन भी निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है। एफटीपी 2015–20 के पैरा 3.18 (क) में संशोधन कर लिया गया है जिससे कि निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जा सके।

(ए. के. भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/61/180/77/एएम–16/पीसी–3 से जारी)